संख्या-4/2016 /543 सी0डी0/46-3-16-1000(42)/2015

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निर्माण (जिला योजना) में स्वीकृत सड़क का निर्माण अन्य विभाग के द्वारा कराये जाने के कारण निरस्तीकरण करने एवं उसके स्थान पर अन्य सड़को का सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 31.07.2015 एवं शासनादेश संख्या-48/2015/2253सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 22.09.2015 तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 936/12-निर्माण दिनांक 03.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश संख्या-43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर की स्वीकृत, इस पत्र के संलग्नक-1 के कालम-2 में अंकित "सरसावा नकुड रोड से बुढेडा मार्ग" सम्पर्क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के कारण, उक्त स्वीकृति को निरस्त करने तथा उक्त सड़क के निरस्त होने के फलस्वरूप हो रही राज्यांश के बचत की धनराशि रू0 44,30,000/- (रू0 चौवालिस लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष, उसके स्थान पर, इस पत्र के संलग्नक-2 के कालम-2 में अंकित जनपद सहारनपुर की 04 सडकों का सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुसार, रू0 56,82,000/- (रू0 छप्पन लाख बयासी हजार मात्र) के लागत की कार्ययोजना के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, इस योजनान्तर्गत निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार, कार्ययोजना लागत के सापेक्ष राज्यांश के रूप में देय धनराशि रू0 44,30,000/- (रू0 चौवालिस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने तथा उक्त के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक पूर्व निर्गत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.07.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित माने जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या-43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 31.07.2015 एवं शासनादेश संख्या-48/2015/2253सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 22.09.2015 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2016/ 543(1)सी0डी0/46-3-16-1000(42)/2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन

5- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

7- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।

8- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

9- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

10- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,

14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,

15- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-4/2016/ 543 सी0डी0/46-3-16-1000(42)/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 का संलग्नक-1

जिला योजना वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कों का निरस्तीकरण

(जनपद सहारनपुर के लिये)

जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या 43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार स्वीकृत कार्ययोजना					निरस्तीकरण का कारण
		लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रूपये में)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
सहारनपुर	सरसावा नकुड रोड से बुढेडा मार्ग	3.10	56.82	44.30	4.88	39.42	उक्त मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने के कारण निरस्त किया जा रहा है।

(रू0 चौवालिस लाख तीस हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-4/2016/ 543 सी0डी0/46-3-16-1000(42)/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 का संलग्नक-2

जिला योजना वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु संलग्नक-1 में एवं स्वीकृत मार्ग के निरस्तीकरण से प्राप्त बचत के सापेक्ष, उसके स्थान पर जनपद सहारनपुर के लिए 04 सड़कों हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

(जनपद सहारनपुर के लिये)

जनपद का नाम	क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	स्वीकृत की जा रही संशोधित कार्ययोजना				
			लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रूपये में)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	7	8	9
सहारनपुर	1	ओलरा आभा मार्ग से छिछरोली	0.65	11.52	9.22	1.02	8.20
	2	नानौता गंगोह मार्ग से टिकरोल राजवाहा पटरी	0.50	9.10	7.28	0.80	6.48
	3	सोना अर्जुनपुर से रेलवे फाटक तक	1.05	18.52	13.66	1.50	12.16
	4	नानौता सहारनपुर मार्ग से खुडाना बाईपास मार्ग	1.00	17.68	14.14	1.56	12.58
		योग-	3.20	56.82	44.30	4.88	39.42

(रू0 चौवालिस लाख तीस हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in